न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 28 / 2021

बनसिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति जाट निवासी डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
....अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार लखनपुर तहसील नदबई (भरतपुर)

.......रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.11.2021 न्यायालय नायव तहसीलदार लखनपुर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट संख्या 13 / 2021

उपस्थितः—
1—श्री गोबिन्दसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट
2—पैरोकार सरकार, अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक 24.5.2022

आदेश

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार लखनपुर दिनांक 26.11.2021 पेश की गई है। नायव तहसीलदार लखनपुर तहसील नदबई ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 1015 / 2033 रकबा 0.30 है0 में से 0.02 है किस्म गै.मु. बंजड ग्रांम डहरा पर किये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने तथा शास्ति कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलाधीन आदेश से पहले भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.7.2019 को अपीलान्ट के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसकी अपील श्रीमान जी के यहॉ की गई थी, जो श्रीमान के निर्णय दिनांक 26.2.2020 को अपील स्वीकार कर रिमान्ड की गई थी। नायव तहसीलदार ने श्रीमान के रिमान्ड आदेश की पालना ना कर नये सिरे से धारा 91एलआर एक्ट का नोटिस भेजा जो नियमों के खिलाफ है। प्रार्थी को जबाब प्रस्तुत करने के बाद पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया और ना हीं साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। नायव तहसीलदार को धारा 91एल आर एक्ट की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी पर मौके चारो ओर से पक्की बाउण्ड्री जयपुर विद्युत निगम की बनी हुई है। विवादित खसरा नम्बर मौके पर खाली नहीं है तहत न्यायालय ने कोई पैमाईस नहीं की है। प्रार्थी का कोई कब्जा विवादित आराजी पर नहीं है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि विवादित टीनसैड की बाबत रैग्यूलर वाद सक्षम न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है, जहॉ रैगग्यूलर कार्यवाही विचाराधीन हो वहॉ धारा 91 एलआर एक्ट जैसी

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

समरी कार्यवाही नहीं चल सकती है। नायव तहसीलदार को धारा 91एल आर एक्ट की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी किया है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर टीन सेड डालकर ढाबा बना कर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं जबाब पेश करने का मौका दिया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.21 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1015/2033 रकवा 0.30 में से 0.02 हे0 पर टीन सेड डालकर सम्वत् 2078 में अपीलान्ट ने दुबारा अतिकमण किये जाने के फलस्वरुप अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुये अतिकमी अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं शास्ति कायम किये जाने की आज्ञा नायव तहसीलदार द्वारा पारित की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं :–

1–क्या नायव तहसीलदार को एल आर एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है?
2– क्या इस न्यायालय के पूर्व आदेश रिमान्ड दिनांक 19.7.2019 की पालना ना कर नये सिरे धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जाना विधि विरुद्ध है ?
3– क्या अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में साक्ष्य पेश करने पटवारी हल्का से जिरह करने के लिये निवेदन किया था ?
4–क्या विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है ?

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की Commentary-6 vi में अंकित है "....Tehsildar alone is competent to take action under sec. 91. The Naib Tehsildar could not drop the proceedings, but should have reported the matter toTehsildar. ....." यानि नायव तहसीलदार ने धारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमी का बेदखल करने का क्षेत्राधिकार है।

बिन्दू संख्या–2 के बावत तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी दिनांक 3.11.2012 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1015/2033 रकवा 0.30 में से 0.02 हे0 पर टीन शेड डालकर ढाबा बनाकर अपीलान्ट ने सम्वत् 2078 में पुनः अतिक्रमण किया गया है। यानि अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2078 में विवादित आराजी पर पुनः अतिकमण करने पर हल्का पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट पर तहत न्यायालय ने विधिवत नया प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट अतिकमी को धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने कोई त्रुटि नहीं की है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ये कथन कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–6–2020

.....3

जिला कलक्टर
जयपुर (राज०)

के अनुसार रिमान्ड आदेश की पालना ना कर नये सिरे से धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस विधि विरुद्ध जारी किये गये हैं स्वीकार योग्य नहीं है – क्यों कि वह अपील अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2076 में विवादित आराजी पर किये गये अतिक्रमण से तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.7.2019 से बेदखल किये जाने पेनेल्टी कायम किये की आज्ञा के खिलाफ अपील इस न्यायालय में की गई थी, उक्त अपील को स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.6.2020 से रिमान्ड किया गया था।

अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2078 में पुनः अतिक्रमण करने रिपोट पटवारी हल्का के आधार पर तहत न्यायालय ने कार्यवाही करते हुये धारा 91 एल आर एक्ट के तहत नोटिस जारी किये गया है जिसमें तहत न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2078 में पुनः अतिक्रमण करने यह कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत है।

बिन्दू संख्या 3 व 4 – तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया, खसरा परिवर्तित संवत 2018–2021 ग्रांम डहरा के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट अतिकमी ने विवादित आराजी पर टीन शेड डालकर सम्वत् 2078 में पुनः अतिकमण किया है उक्त खसरा के कॉलम नम्बर 15, 16 में अंकित नोट "पूर्व में भी अतिकमण की रिपोर्ट की गई है" से जाहिर है कि अपीलान्ट पाश्चतवर्ती अतिक्रमी है। मौका पर्चा ग्रांम डहरा दिनांक 8–12–21 में अंकित रिपोट से जाहिर है कि विवादित आराजी का मौका निरीक्षण स्वय नायव तहसीलदार, गिर्दावर एवं हल्का पटवारी द्वारा किया गया है, मौके पर विवादित रकवा प्रिंस ट्यूरिस्ट फैमली ढावा के रुप में काम में अतिकमण पाये जाने पर, अपीलान्ट अतिकमण हटाने को राजी नहीं हुआ है का भी उल्लेख भी रिपोट में है। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपना जबाब पेश किया है, जिसमें अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कोई अतिकमण नहीं किया जाने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में हल्का पटवारी से जिरह करने या साक्ष्य पेश करने के लिये समय दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है। हमारे समक्ष आकर यह कथन करना कि तहत न्यायालय ने साक्ष्य जिरह को समय नहीं दिया गया, यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

4– अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचारधीन है, ऐसी स्थिति में धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी स्वीकार योग्य नहीं रहता है क्यों कि अपीलान्ट ने सिवाय जुबानी कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष या तहत न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे विवादित आराजी पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन वगे. होना पुष्टि करता हो। हम तहत न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर